राजस् थान उच् च न् यायालय, जोधपुर

-:: <u>निर्णय</u>::-

1. राजस् थानराज य : बनाम : पनिया

डी.बी.क्रिमिनल अपील संख या: 393/1983

ए व म्

2. नेमा व अन् य : बनाम : राजस् थानराज य

डी.बी.क्रिमिनल अपील संख या: 133/1983

विरूद्ध निर्णय दिनांक : 11.3.1983, जो सेशन प्रकरण संख या 24/1981 में अपर सेशन न् यायाधीश, सिरोही द्वारा पारित किया गया।

* * * * *

निर्णय दिनांक : 14 दिसम् बर, 2004

-: उप स्थि ति :-

माननीय न् यायाधिपति श्री सुनिल कुमार गर्ग

माननीय न् यायाधिपति श्री कृष् णकुमार

जन अभियोजक श्री वी.आर.मेहता,

प्रत् यर्थी अपीलाण ट्सके अधिवक् ताश्री संजय माथुर।

* * * * *

न् यायालय द्वारा (माननीय न् यायाधिपतिश्री कृष् णकुमार द्वारा)

उक् तदोनों अपीलें क्रमश: डी.बी.क्रिमिनल अपील संख या 393/1983, स्टे ऑफ राजस् थानबनाम पनिया, राज यसरकार द्वारा अभियुक् तपनिया को योग य अपर सेशन न् यायाधीश, सिरोही द्वारा

धारा 363 व 302 भारतीय दण डसंहिता के आरोपों में बरी किया उसके विरूद्ध एवं डी.बी.क्रिमिनल अपील संख या133/1983, नेमा व अन यबनाम राजस थानराज य अभियुक तअपीलाण टान ेमा व पनिया द्वारा उन ेहधारा 379 भारतीय दण डसंहिता के आरोप में दोषी करार दिए जाने के विरूद्ध पेश की गई हैं। चूंकि उक तदोनों अपीलें योग य अपर सेशन न यायाधीश सिरोही द्वारा पारित एक ही निर्णय दिनांक 11.3.1983 के विरूद्ध प्रस तुत हुई हैं, अत: दोनों ही अपीलों का निर्णय एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

<u>प्रकरण के तथ य:</u>

तथ यप्रकरण के इस प्रकार हैं कि एक रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 खांगाराम द्वारा दिनांक 21.1.1981 को एस.एच.ओ., पुलिस थाना, सादड़ी को इन तथ योंके साथ पेश की कि दिनांक 14.1.1981 को रात के करीब 9 बजे पनिया उसके घर पर आया तब उसकी बहन चम पा घर पर थी। उसकी मां जब कार्यवश बाहर गई तब पनिया उसकी बहन चम पाको बहला फुसला कर घर से दो हजार रूपए लेकर चला गया। इन दोनों को साथ-साथ जाते पकिया पुत्र चेलाजी सरगरा ने देखा था। बाद में बेरे के जाव में पनिया व चम पाको जाते हुए भीमा चौधरी ने भी देखा था। बाद तलाश मालूम हुआ कि पनिया ने उसकी बहन चम पाको किसी बदमाशों के हाथो में दे दी है। इतने

दिन तलाश करने पर कोई पता नहीं चला। पनिया भी उसी दिन से फरारी में घूम रहा है। उसकी बहन के पैरो में चांदी की कडिया, कानो में टोप्स नाक में सोने की नथ आदि जेवरात भी पहने हुए थे। उपरोक्त रिपोर्ट पेश होने पर यह प्रकरण धारा 363, 365 एवं 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज हुआ। तफ्तीश हाजा आरम्भकी गई। थाना सादडी में मर्ग नं. 2 दिनांक 21.1.81, धारा 174 दं.प्र.सं. में चम्पा की लाश सरहद सिन्दरली के पड़त बेरा में मिलने पर कार्यवाही की गई जिसमें सूरत हाल लाश बनाई गई, लाश का पोस्टर्माटम करवाया गया और लाश को सुपुर्द की गई। मृतका के कपड़े भी कब्जेमें लिए गए। लाश जहां से बरामद हुई वहां का मौका मुआयना भी किया गया और उसके कागजात इस तफ्तीश की पत्रावली में शामील किए गए। अभियुक्त पनिया और नेमा को गिरफ्तार किया गया और उनकी सूचनाओं के अनुसार मृतका के कुछ जेवरात बरामद हुए। एक ओढ़ना भी कुए से बरामद किया गया एवं कुछ कपड़े भी बरामद किए गए। बाद सामान्यतफ्तीश अभियुक्त तनेमा व पनिया के विरूद्ध चार्जशीट धारा 363, 365, 368, 302, 120-बी व 379 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुतहुई। प्रकरण अपर सेशन न्यायाधीश सिरोही को कमिट किया गया जहां बाद सुनने बहस चार्ज अपर सेशन न्यायाधीशद्वारा

अभियुक्त पनिया के विरूद्ध धारा 363, 379 व 302 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त नेमा के विरूद्ध धारा 379 व 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप लगाए गए। अभियुक्तगण ने जुर्म करने से इनकार किया और अन्वीक्षा चाही। तत्पश्चात् अभियोजन पक्ष की साक्ष्य कलमबन्द की गई। अभियुक्तगण के बयान कलमबन्द किए। साक्ष्य सफाई का भी अवसर दिया गया। अभियुक्त पनिया ने लिखित बयान भी पेश किए। अभियुक्तगण ने डी.ड.1 रामा व डी.ड.2 भूराराम को साक्ष्य में पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप अभियुक्त पनिया व नेमा के विरूद्ध प्रमाणित पाए और प्रत्येक अभियुक्त को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 500-500 रूपए के अर्थदण्ड अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त को तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया। अभियुक्त पनिया को धारा 363 व 302 भा.दं.सं. के आरोपों से व अभियुक्त नेमा को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप प्रमाणित नहीं होने से उन्हें इन अपराधों से दोषमुक्त किया गया। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा अभियुक्त पनिया को दोषमुक्त किए जाने की नाराजगी में यह अपील प्रस्तुत की है और साथ ही अभियुक्त पनियाव नेमा द्वारा धारा 379 भा.दं.सं. के आरोपों में दोषी

करार दिए जाने के विरूद्ध अपील पेश की गई हैं, जिनकी सुनवाई एक साथ ही की जाकर इनका निस्तारणएक ही निर्णय से किया जा रहा है।

उक्तदोनों अपीलों में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया व विचार किया।

दोनों पक्षों के तर्क :

योग्यजन अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्तपनिया को धारा 363 व 302 भारतीय दण्डसंहिता के आरोपों में बरी करके अधीनस्थन्यायालयद्वारा साक्ष्यका सही मूल्यांकन नहीं किया है। उनका तर्क है कि रेकर्ड पर अभियोजन पक्ष की साक्ष्यसे मृतका को बहला फुसला कर व फरार करके अभियुक्तपनिया ले गया है, जो नाबालिग थी। अधीनस्थन्यायालयने इसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक मानने में भूल की है। उनका यह भी तर्क रहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा मृतका को अन्तिमरूप से दोनों ही अभियुक्तगणके साथ देखा गया था और उसके बाद उसकी लाश दिनांक 21.1.1981 को सिन्दरलीगांव के पडत बेरा से बरामद की गई। अभियुक्तकी सूचना पर एक पेण्टबरामद हुई है जो खून आलूदा पाई गई है। पेण्टकी कार्यवाही शिनाख्तगीभी कराई गई

जो पी.ड.18 सरेमल के सामने होना बताई गई है जिसे कालिया ने अपनी पेण टहोना पहचाना। यह पेण टकालिया से अभियुक्त तद्वारा ली गई है और मृतका को पहनाई गई है। इसी प्रकार टोपी की बरामदगी भी हुई है जो नेमा सहअभियुक्त से होना बताया गया है। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त गण कीइतिला के अनुसार मृतका के पहने हुए जेवरात की बरामदगी भी रेकर्ड पर प्रमाणित पाई गई है और अभियुक्त गणको धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में दोषी भी पाया गया है और जेवरात और कपड़ो की बरामदगी होना अधीनस्थ न यायालयने प्रमाणित पाया है। इस प्रकार तमाम अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से परिस्थितिजन्यसाक्ष्य की कडिया जोड़ी गई है अत: उनका तर्क है कि जब अन्तिमरूप से अभियुक्त कको मृतका के साथ देखा गया था, मृतका के जेवरात भी अभियुक्त गणसे बरामद हुए हैं तो अभियुक्त पनिया के विरूद्ध धारा 363 व 302 भा.दं.सं. के आरोप प्रमाणित माने जाने चाहिए थे। अधीनस्थ न यायालय द्वारा साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया है।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक अभियुक्त गण ने अधीनस्थ न यायालयके निर्णय, धारा 363 व 302 भा.दं.सं. में जहां

तक अभियुक्त पनियाको बरी किए जाने का प्रश्न हैै, के समर्थन में बहस की है मगर उनका तर्क है कि धारा 379 भा.दं.सं. के आरोपों में अधीनस्थ न्यायालय नेजो बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि की है वह अपराध कतई सिद्ध नहीं होता। अभियुक्त तपनिया के कब्जेसे जेवरात कडिया और ओढ़ना इतिला के अनुसार बरामद करने की जो कहानी बतलाई गई है, इसी प्रकार नेमा की इतिला के अनुसार चांदी की कडिया व एक टोपी बरामद करने का केस अभियोजन पक्ष लेकर आया है, मगर यह बरामदगी अभिवल में प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। दूसरा माल की शिनाख्तगीभी त्रुटिपूर्ण हुई है। गहनो और ओढ़नी की शिनाख्तगीकी कार्यवाही भी त्रुटिपूर्ण की गई है। इस प्रकार धारा 379 भा.दं.सं. के आरोप से अभियुक्त तगणको अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता। उनका यह भी तर्क रहा कि अधीनस्थ न्यायालयने अन्तिमतौर पर देखे जाने वाली साक्ष्यको सही रूप से नकारा है। अतः उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त तगणके विरूद्ध धारा 379 भा.दं.सं. का आरोप भी प्रमाणित नहीं माना जावे और अधीनस्थ न्यायालयद्वारा अभियुक्त तपनिया को धारा 363 व 302 एवं अभियुक्त तनेमा को धारा 302 भारतीय दण्डसंहिता के आरोप में जो बरी किया गया है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जावे।

अपील न् यायालयद्वारा बरी किए गए प्रकरण में अपील न् यायालयके अधिकार :

हमने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। जहां तक बरी किए गए अभियुक् तोंकी दोषमुक्ि तकी अपीलों में साक्ष् य का मूल् यांकन इस न् यायालयको कब करना चाहिए और हस् तक्षेप के क् याआधार होने चाहिए, इस सम् बन् धमें कानून की स्ि थति से स् पष् ट है कि दोषसिद्धि के विरूद्ध अपीलों में और दोषमुक्ि तकी अपीलों में हालांकि प्रक्रिया में कोई भी अन् तरनहीं किया गया है, मगर दोषमुक्ि तकी अपीलों को तय करने के लिए यह अवश यदेखा जाता है कि अधीनस् थन् यायालय द्वारासाक्ष् यका मूल् यांकन करने के बाद क् यामत लिया है, साथ ही अभियुक् तके विरूद्ध उसके निर्दोष होने की जो उपधारणा है, उसे भी देखा जाना चाहिए। हालांकि उसे बरी किए जाने मात्र से यह उपधारणा कमजोर नहीं होती। यदि कोई भी शक की गुंजाईश है तो अभियुक् त को फायदादिया जाना चाहिए। अपील न् यायालयको दोषमुक्ि तकी अपीलों में यह भी देखा जाना चाहिए कि अधीनस् थन् यायालयद्वारा साक्ष् यलिखी एवं उसके बयान लिखते समय गवाहों के आचरण को भी पढ़ा है तो ऐसे मामलों में अधिक हस् तक्षेप नहीं होना चाहिए, मगर यह भी स् पष् टरूप से

सिद्धान्त दिया गया है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय का साक्ष्य का मूल्यांकन दूषित है, कानून के दिए हुए प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं किया गया है तो अपील न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। यदि अधीनस्थ न्यायालय का दृष्टिकोण अनुचित नहीं है या दूषित नहीं है तो उच्च न्यायालय को सामान्यतया हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माननीय उच्चतमन्यायालय द्वारा ए आई आर 1979 सुप्रीम कोर्ट 1188 (अन्तरसिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य) के पैरा 11 में निम्नसिद्धान्त दिया गया है :

> "Although in an appeal against acquittal, the powers of the High Court in dealing with the case are as extensive as of the trial Court, before reversing the acquittal, the High Court should bear in mind that the initial presumption of the innocence of the accused is in no way weakened, if not reinforced, by his acquittal at the trial. The opinion of the trial Court which had the advantage of observing the demeanour of the witnesses, as to the value of their evidence should not be lightly discarded. Where two views of the evidence are reasonably possible, and the trial Court has opted for one favouring acquittal, the High Court should not disturb the same merely on the ground that if it were in the position of the trial Court, it would have taken the alternative view and convicted the

accused accordingly."

इसी प्रकार ए आई आर 1996 सुप्रीम कोर्ट 2478 (धन्नावगै. बनाम मध्यप्रदेश राज्य) में निम्नसिद्धान्त दिया गया है :

> "Though the Code does not make any distinction between an appeal from acquittal and an appeal from conviction so far as powers of the appellate Court are concerned, certain unwritten rules of adjudication have consistently been followed by judges while dealing with apeals against acquittal. No doubt, the High Court has full power to review the evidence and to arrive at its own independent conclusions whether the appeal is against conviction or acquittal. But while dealing with an appeal against acquittal the appellate Court has to bear in mind : first, that there is a general presumption in favour of the innocence of the person accused in criminal cases and that presumption is only strengthened by the acquittal. The second is, every accused is entitled to the benefit of reasonable doubt regarding his guilt and when the trial Court acquitted him he would retain that benefit in the appellate Court also. Thus, appellate Court in appeals against acquittals has to proceed more cautiously and only if there is absolute assurance of the guilt of the accused, upon the evidence on record, that the order of acquittal is liable to be interfered with or

disturbed."

उपरोक्त तकानून की स्थिति देखने के बाद अधीनस्थ न्यायालयके निर्णय का अवलोकन करें।

आरोप धारा 363 भारतीय दण्डसंहिता के सम्बन्ध में :

योग्यसेशन न्यायाधीशद्वारा अपने निर्णय में सर्वप्रथम साक्ष्यका मूल्यांकन करने के बाद धारा 363 भा.दं.सं. का आरोप अभियुक्तपनिया के विरूद्ध प्रमाणित नहीं पाया। इस सम्बन्ध में योग्यसेशन न्यायाधीशद्वारा पी.ड.1 खांगाराम, जो कि मृतका का भाई है, के बयान एवं पी.ड.5 सोनी, जो उसकी मां है, के बयानो का अवलोकन किया है और चिकित्सकीयसाक्ष्यका भी अवलोकन किया और तमाम साक्ष्यके अवलोकन के बाद इस नतीजे पर आए कि मु0 चम्पाकी उम्र 18 साल से कम नहीं थी। अभियोजन पक्ष की साक्ष्यइस सम्बन्ध में विश्वसनीयनहीं पाई और मु0 चम्पाबालिग होना पाई गई।

हमारे द्वारा भी उपरोक्त साक्ष्यका अवलोकन किया गया। पी.ड.1 खांगाराम ने स्पष्टरूप से बयान दिया कि उसकी बहन की उम्र 17 साल की थी, मगर जिरह में कहा कि उसकी बहन

उससे 6-7 साल छोटी थी। उसके बयान हुए जब उसकी उम्र अधीनस्थ न्यायालय ने 26 साल की होना पाई, इस अनुसार भी घटना के समय चम्पा की उम्र 18-19 साल प्रकट होना अपने निर्णय में पाया। पी.ड.5 सोनी के बयान में भी स्पष्ट आया है कि खांगाराम के 6-7 साल बाद चम्पा हुई थी। खांगाराम की उम्र पहले उसने 26 साल होना बताई फिर बयान बदलकर 20 साल होना कही। यदि 26 साल उम्र होना माना जावे तो भी वाके के वक्तचम्पा की उम्र 20 साल होना पाई जाती है। पी.ड.21 डॉ0 चम्पालालबम्बोली ने दिनांक 22.1.1981 को मृतका के मृत शरीर का निरीक्षण किया था और उसकी उम्र लगभग 16 साल होना बताया है जो बाह्य रूप से देखकर ही यह उम्र लिखी गई है। हड्डियों के जोड़ो आदि का कोई भी एक्सरे नहीं हुआ। चिकित्सक ने यह भी माना कि 2-3 साल का अन्तर उनकी राय में भी हो सकता है। तमाम साक्ष्यको देखने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में जो नतीजा निकाला है इसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते। पी.ड.5 सोनी के बयानो से भी स्पष्ट है कि दिनांक 14.1.1981 को चम्पा घर में अकेली थी और उसकी शादी नहीं हुई थी। पी.ड.1 खांगाराम ने भी अपने बयानो में बताया कि उसकी मां ने बताया कि रात को 9 बजे वह टट्टी जाने गई उस समय पनिया चौधरी अपने घर के बाहर बैठा

हुआ था। उसकी मां ने यह भी बताया कि जब वह टट्टी जाकर वापस घर आई तो उस समय चंपा घर नहीं थी तब उन होंनेढ़ंढ़ा। भीखाराम ने बताया था कि पनिया को और चम पाको मुण डाराकी तरफ जाते उसने देखा है। पी.ड.2 भीखाराम ने भी इस सम बन धों बयान दिए हैं कि चम पाजा रही थी और उसके पीछे उसने पनिया को जाते देखा। मगर उसने पनिया से कोई बात नहीं की। पी.ड.3 पनिया का भी कथन है कि वह सादडी से वापस घर शाम को सात बजे के करीब रवाना हुआ तो पन नाव चम पाको मोतीसिंह के दुकान के आगे जाते हुए देखा। पी.ड.4 मोडिया ने भी बयानो में बताया कि चारे के पास चम पाको देखा। उसने कहा कि वह टट्टी जाने आई है, फिर वह रवाना हो गई। सोनी ने अपने बयानो में स पष ट कहा है कि जब वह घर से रवाना हुई तो चम पाघर पर थी, बाहर पनिया बैठा था। उसने कहा था कि ट्रेक टरमें घास डालनी है इसलिए मजदूर करने है। इस प्रकार अधीनस थन यायालयने यह अवश यपाया कि बिना संरक्षक की स वीकृति के चम पाको ले जाया गया मगर चूंकि चम पाकी उम 18 वर्ष से कम नहीं पाई गई, अतः धारा 363 भा.दं.सं. के आरोप प्रमाणित होने के लिए संरक्षक की स वीकृति लेना आवश यकनहीं था। अधीनस थन यायालयने यह भी पाया कि चम पा जब घर से गई, उसने कोई प्रतिरोध किया हो,

इसकी भी साक्ष यनहीं आई है और इस तथ यसे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वह अपनी स्वयंकी इच्छासे अभियुक्तके साथ गई हो। इस प्रकार धारा 363 भा.दं.सं. का आरोप अधीनस्थन यायालयने प्रमाणित नहीं पाया है। हमारी विनम्र राय में अधीनस्थन यायालयद्वारा धारा 363 भा.दं.सं. के आरोप के सम्बन्ध में जो निष्कर्षदिया है उसके सम्बन्धमें अन्यकोई भी दृष्टिकोण लिया जाना संभव नहीं है। मु0 चम्पाकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं पाई गई है और घर से गहनो के साथ वह स्वयंही गई है, ऐसा प्रतीत होता है अभियुक्तद्वारा उसे बहला फुसला कर फरार करने की नीयत से उसे घर से फरार की हो इसकी साक्ष यरेकर्ड पर नहीं पाई जाती। मात्र साथ देखे जाने की साक्ष यदी गई है वह भी कितनी विश्वसनीयहै, उसे आगे परिस्थितिजन्यसाक्ष यअन्तिमरूप से देखे जाने के समय विचार किया जाएगा। इस प्रकार अधीनस्थन यायालयद्वारा प्रथम बिन्दुपर जो अपना निर्णय आधारित किया है इसमें हम हस्तक्षेप के आधार नहीं पाते।

<u>अधीनस्थन यायालयद्वारा अपने निर्णय में धारा **302** भा.दं.सं. के आरोप प्रमाणित नहीं मानने के आधार</u> :

अधीनस्थन यायालयद्वारा अभियुक्तके विरूद्ध धारा

302 भा.दं.सं. का आरोप भी प्रमाणित नहीं पाया। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ यायालयद्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया। प्रथम सूचना में देरी होने का कोई भी विपरीत असर नहीं पड़ा है और इसका कोई लाभ अभियुक्तनहीं पा सकता, अपने निर्णय में पाया है। अधीनस्थ यायालय ने यह भी पाया कि इस प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शीसाक्षी नहीं था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो प्रस्तुतहुई है उसमें अन्तिमतौर पर मृतका को अभियुक्त के साथ देखी गई उस साक्ष्य को अधीनस्थ यायालयने विचारित किया। पी.ड.1 खांगाराम का कथन है कि उसने चम्पा को ढूंढा था तब उसे मोडाराम ने सुबह बताया कि उसने अभियुक्त पकिया को चंपा के साथ मुंडारा की तरफ जाते देखा है। अधीनस्थ यायालयने पी.ड.2 भीखा, पी.ड.3 पकिया व पी.ड.4 मोडिया के कथनो का विश्लेषण किया। अधीनस्थ यायालयमें यह एतराज उठाया गया था कि इन गवाहों के बयान धारा 161 दं.प्र.सं. के दौरीना कलमबन्द किए गए। अधीनस्थ यायालयने अपने निर्णय में यह पाया कि भीखाराम व पकिया के बयान दिनांक 6.2.1981 को व मोडीया के बयान दिनांक 7.2.1981 को पुलिस द्वारा लेखबद्ध किए गए हैं। पी.ड.1 खांगाराम से पुलिस ने पूछताछ दिनांक 21.1.1981 को प्रदर्श पी.1 रिपोर्ट पेश होने पर की थी और भीखाराम व मोडिया ने खांगाराम की बहन को अभियुक्त के

साथ जाते दे खा बता दिया था तो अनुसन् धान अधिकारी के लिए आवश यकएवं उचित था कि इन लोगों के सम् बन् धमें तुरन् त अनुसन् धानकरता। पी.ड.20 गणपतसिंह न े भी इसका कोई स् पष टीकरण नहीं दिया, जिसने तफ्तीश की है। इस आधार पर 1979 आर.सी.सी. 106 व 1980 आर.सी.सी. 231 के विनिश चयपर विचार करने के बाद अधीनस् थन् यायालयने गवाहो के बयान इस आधार पर विश वसनीयनहीं माने। उनके बयानो में विरोधाभास भी पाए गए। इस प्रकार उनकी साक्ष यस् ट्रत्वि वर्थ की नहीं पाई गई। अधीनस् थन् यायालय न े पी.ड.7 चतरा व पी.ड.19 पोकरलाल के बयानो का भी विश ेषण किया है और इनके बयानो से टोपी व पेण ट की बरामदगी व उसकी कार्यवाही शिनाख तगी अभियुक् त के विरूद्ध कोई भी अपराध से जोड़ने वाली परिस्ि थतिप्रकट नहीं करती, स् पष ट रूप से पाया है। ओढ़नी की बरामदगी के बारे में भी और उसकी पहचान के बारे में भी अधीनस् थन् यायालयने विचार किया है और ओढ़नी की बरामदगी प्रमाणित पाई। जेवरात की बरामदगी के सम् बन् धमें अधीनस् थन् यायालयने अभियुक् तगणके विरूद्ध जेवरात की बरामदगी की साक्ष यप्रमाणित पाई है, मगर माननीय उच चतम न् यायालयके विनिश चयए.आई.आर. 1956 (सुप्रीम कोर्ट) 54, 1979 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज.) 585, ए आई आर 1980 (सुप्रीम कोर्ट)

1753 व 1980 क्रिमिनल लॉ रिपोर्ट र (राज0) 449 पर आए विनिश चयपर विचार करने के बाद अधीनस्थन यायालयने यह पाया कि मात्र कपड़ों व गहनो की बरामदगी से अभियुक्त के विरूद्ध कत्ल करने की उपधारणा नहीं निकाली जा सकती और अभियुक्त के विरूद्ध परिस्थितिजन्यसाक्ष्य से धारा 302 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित नहीं पाया। मृतका की मृत्युमानव वध हो यह भी स्पष्ट नहीं हुआ। अधीनस्थन यायालयने चिकित्सकीयसाक्ष्यपर विचार किया है और यह भी माना कि मृतका की मृत्युअपने आप डूबने से भी हो सकती है। इस प्रकार अधीनस्थन यायालय द्वारा तमाम परिस्थितिजन्यसाक्ष्यपर विचार करने के बाद धारा 302 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित नहीं पाया, मगर धारा 379 भा.दं.सं. के तहत दोषी करार दिया है।

हमारे द्वारा अधीनस्थन यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया। अधीनस्थन यायालयके द्वारा अपने निर्णय में धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप प्रमाणित नहीं होने के बारे में जो फाईण्डिंग दी है उस पर विचार किया और साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया।

<u>परिस्थितिजन्यसाक्ष्यके मूल्यांकन के सम्बन्ध में कानूनी स्थिति</u>

हमारे द्वारा उपरोक्त विनिश्चयों का आदर-पूर्वक अवलोकन किया गया। जहां तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ए.आई.आर. 1982 सुप्रीम कोर्ट 1157 में दिए गए सिद्धान्तों का अवलोकन किया है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य में विधि की स्थिति को स्पष्ट करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धान्त दिया गया है :

> "The law regarding circumstantial evidence is well-settled. When a case rests upon the circumstantial evidence, such evidence must satisfy thee tests : (1) the circumstances from which an inference of guilt is sought to be drawn, must be cogently and firmly established; (2) those circumstances should be of a definite tendency unerringly pointing towards guilt of the accused; (3) the circumstances, taken cumulatively, should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion that within all human probability the crime was committed by the accused and none else. The circumstantial evidence in order to sustain conviction must be complete and incapable of explanation of any other hypothesis than that of the guilt of the accused. The circumstantial evidence should

not only be consistent with the guilt of the accused but should be inconsistent with his innocence."

इस प्रकार उपरोक्त कानून की स्थिति देखने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य परिस्थितियों का अवलोकन किया और धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से जोड़ने की कोई भी साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध शक से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं पाई।

अन्तिमरूप से अभियुक्त को मृतका के साथ देखे जाने की साक्ष्य के सम्बन्ध में :

प्रथम साक्ष्य अभियुक्त को अन्तिम रूप से मृतका के साथ देखे जाने के सम्बन्ध में दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 1980 आर सी सी 231 एवं 1979 आर सी सी 106 में आए सिद्धान्तों का भी अवलोकन किया। उनका कथन है कि जिन गवाहों ने अन्तिम रूप से देखने की साक्ष्य दी है उसमें भीखाराम व पकिया ने खांगाराम को तुरन्त बाद जाकर यह बात नहीं बताई। खांगाराम ने अवश्य कहा कि उसे मोडिया ने बताया मगर मोडिया ने यह नहीं

कहा कि उसने यह जाकर खांगाराम को बताया हो। पुलिस द्वारा भी ये बयान बहुत ही देरी से लिए गए। तीनों ही गवाहों के बयान अन्तिमरूप से देखे जाने के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालयद्वारा विश्वसनीयनहीं पाए गए और स्वतन्त्र वर्थ के नहीं पाए गए क्योंकि इस प्रकरण में भीखाराम व पकिया के बयान 6.2.1981 को लेना व मोडिया के बयान दिनांक 7.2.1981 को कलमबन्द कियाजाना पाया जाता है। जबतिक पी.ड.1 खांगाराम ने प्रदर्श पी.1 रिपोर्ट दिनांक 21.1.1981 को ही प्रस्तुतकर दी थी। उपरोक्त कथन की ताईद पी.ड.23 नाहर सिंह और प्रदर्श पी.1 व प्रदर्श डी.1 लगायत डी.3 बयानो से होती है। खांगाराम ने दिनांक 21.1.1981 को ही यह बात जब बता दी थी कि भीखाराम, पकिया व मोडिया द्वारा उसके बयान अभियुक्त पनिया के साथ देखना बताया है तोअनुसन्धानअधिकारी के लिए यह आवश्यकथा कि वह तुरन्तअनुसन्धानकरता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पी.ड.20 गणपतसिंह के बयानो का भी हमारे द्वारा अवलोकन किया गया और उपरोक्तसाक्षीगण के कथन 6.2.1981 के पूर्व उसने क्योंनहीं लिखे, इसका कोई स्पष्ट टीकरण्नहीं दिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयद्वारा इस न्यायालयद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तोंको ध्यानमें रखते हुए ही साक्ष्यका मूल्यांकन किया है। गवाहों के आचरण पर भी अधीनस्थ न्यायालयने विचार किया और

1979 आर सी सी 106 पर आए विनिश्चय को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पी.ड.3 पकिया ने खांगाराम को सूचना देना बताया, लेकिन खांगाराम ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा कि पकिया ने उसे कोई इतिला दी हो। पी.ड.4 मोडाराम ने खांगाराम को सूचना देना नहीं बताया, जबकि पी.ड.1 खांगाराम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मोडिया ने उसे सूचना दी थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इन साक्षियों में भारी विरोधाभास पाया। पी.ड.4 मोडिया के बयानो में भी अधीनस्थ न्यायालयने पाया कि यह बात उसने पुलिस के अलावा अन्यकिसी को नहीं बताई। मोडिया का कथन भी धारा 161 के तहत दिनांक 7.2.1981 को कलमबन्द हुआ। इस प्रकार उच्च न्यायालय के विनिश्चयोंको आधार मानकर गवाहो के आचरण को देखते हुए और बयान देरी से लिखे और बयानो में विरोधाभास को देखते हुए अन्तिमरूप से साथ देखे जाने वाली साक्ष्यको विश्वसनीयनहीं पाई गई।

हमारे द्वारा भी उपरोक्त साक्ष्य का अवलोकन किया गया और उनके आचरण और पुलिस द्वारा देरी से बयान लिखे जाने और साक्षियों के बयानो में आए विरोधाभासों को देखते हुए अन्तिम रूप से देखे जाने की साक्ष्यको विश्वसनीयनहीं पाते। अधीनस्थ

न यायलायद्वारा इस प्रकरण में जो साक्ष य का मू ल्यांकन किया है उसका दू सरा नतीजा निकालना सम भवनहीं है। इसके लिए हमारे द्वारा साक्ष यपर सू क्ष मतासे विचार किया गया। पी.ड.1 खांगाराम ने अपने बयानो में बताया है कि उसे मोडाराम ने सुबह यह बताया कि अभियुक्त पनियाको चम पा कसाथ मुण डाराकी तरफ जाते देखा है। भीखाराम ने भी सुबह उसे बताया कि वह बेरे पर से रोटी खाने घर आ रहा था उस समय अभियुक्त पनिया को व चम पाको मुण डाराकी तरफ जाते देखा। उसकी मां ने भी पनिया को घर के बाहर बैठे हुए देखा था। मगर जिरह में इसने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.1 प्रथम सूचना में पनिया का उसके घर के पेढले पर बैठना उसकी मां द्वारा कहना दर्ज नहीं है। चम पाघर से करीब रात को 8 बजे गई थी। भीखा ने उसे सुबह 8 बजे चम पासे पन नाको देखने की बात कही थी और मो डारामभी उसे उस रोज सुबह 9 बजे जूना में मिला था।

पी.ड.2 भीखाराम के बयानो का इसके साथ अवलोकन करें। उसका कथन है कि 1981 की सकरान्त की बात है वह बेरे से अन्दाज 8 बजे शाम को घर आ रहा था। रेबारिया के पास उसे चम पामिली तो उसने पूछा कि तू कहां जा रही है। उसने कहा कि पन नाउसके साथ है। रात उजाली थी। पनिया उसके पीछे-पीछे

जा रहा था लेकिन उसने उससे बात नहीं की। यह बात उसने सुबह अपनी काकी को बताई। खांगाराम उसे नहीं मिला। इस प्रकार खांगाराम का यह कहना कि भीखाराम ने आकर उसे यह बात बताई, स्वयंभीखाराम के बयानो से ही असत्य हो जाता है। काकी को जाकर भीखाराम ने यह बात बताई और स्वयं पी.ड.5 सोनी अपने बयानो में यह कथन नहीं करती। भीखाराम का बयान पुलिस में काफी देरीना हुआ है, जिसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जैसाकि उपर इस बारे में विचार किया जा चुका है। उसने चम्पासे बात की। इसमें ए से बी इसने लिखाना स्वीकारकिया है कि चम्पाको पूछा था अन्धेरा पड़ा है कहां जा रही है। मगर प्रदर्श डी.1 बयान में पनिया का चम्पा के पीछे पीछे जाने का उसने लिखाया था पर लिखा हुआ नहीं है। इस प्रकार जब रात्रि को आठ बजे ही उसने चम्पाको अन्धेरे में जाते देख लिया है और सोनाराम और खांगाराम उसके रिश्तेदार हैं और सोनी उसकी सगी काकी नहीं होते हुए भी काकी अवश्यलगती है। रात्रि में उसके द्वारा जाकर परिवार में इतिला नहीं करना स्पष्ठसके आचरण को बताता है कि यह गवाह बात में बनाया हुआ है और उसने अभियुक्त पनिया के साथ चम्पाको अन्तिमरूप से नहीं देखा।

इसी प्रकार पी.ड.3 पकिया के बयानों का अवलोकन

करें। उसका यह कथन है कि 1981 की सकरान्त तके रोज वह सादडी गया हुआ था और शाम के करीब सात बजे घर के लिए रवाना हुआ था। जूना करीब आठ बजे शाम को पहुंच गया था तो पन्ना व चम्पाको मोतीसिंह की दुकान के आगे जाते हुए देखा था। जबकि भीखाराम का यह कथन है कि चम्पाघर से शाम करीब आठ बजे गई थी और रात्रि को आठ बजे ही भीखाराम ने उसे रेबारियों के बाडे के पास देखा है। रात्रि को आठ बजे यह पकिया भी जूना गांव पहुंचा है और मोतीसिंह की दुकान के आगे जाते हुए देखा है। उसने पन्नासे राम राम भी किया था। मगर इसने जिरह में स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी.2 बयान के ए से बी हिस्सेमें सादडी से 6 बजे शाम रवाना होकर सात बजे ग्राम जूना में पहुंचा था, लिखाया अथवा नहीं, तो उसने कहा कि टाईम उसने नहीं लिखाया। इस प्रकार इस गवाह का बयान पुलिस बयानो से भी विरोधाभासी है। चम्पा की लाशआने के 6-7 दिन बाद पुलिस ने उसका बयान लिया था। चम्पागई उसके दो दिन बाद उसने जो देखा यह बात उसने दलिया व खांगा को बताई थी। इस प्रकार इस गवाह का आचरण और पुलिस में इसके बयान देरी से लिया जाना और यह आठ बजे भी जूना पहुंचा या नहीं, बयानो को देखने से पुलिस बयानो से इसके बयान विरोधाभासी हैं और इसके आचरण और इसकी देरीना हुई

साक्ष यके आधार पर अधीनस्थन यायालयने इस गवाह के बयान भी विश वसनीयनहीं पाया। हम भी अधीनस्थन यायालयके साक्ष यके मूल्यांकन में गलती नहीं पाते।

पी.ड.4 मोडिया, जो भी अन्ितमरूप से देखे जाने का गवाह है, उसका यह कथन है कि सकरान्त के दिन वह अरठ कोथरीया में खेती करता था। वह अपने अरठ के गुए में था। वह चारे के पास गया तो वहां चम्पाको खड़े देखा। उससे पूछा क्या कर रहा है तो कहा कि टट्टी जाने आई हूं। चम्पावहां से रेबारियों के घर की तरफ रवाना हो गई। उसने पन्नाको भी जाते हुए देखा। जिरह में कथन है कि प्रदर्श डी.3 में चम्पाका बैठा देखना नहीं लिखाया खड़े हुए देखना लिखाया था। पुलिस बयानो में बैठने की बात गलत लिखी है। सड़क से 200 फीट दूर घास थी जहां चम्पाको देखा था। वहां से 100 फीट दूर रेबारियों का बास है। वह घास के पास ही खड़ा रहा आगे नहीं गया। वह उसके पीछे भी नहीं गया। उसने पन्नाकी शक्लनहीं देखी पीठ देखी थी और 100 फीट दूरी से देखी है। चान्दनीरात थी इसलिए पहचान लिया। उसने पुलिस में बयान हुए इसके अलावा यह बात किसी को नहीं कही। इस प्रकार रात्रि में 100 फीट दूर से पन्नाको देखना और उसकी पीठ देखना और उसे पहचान लेना कतई विश वसनीय प्रतीत नहीं

होता और यह कथन उसने पुलिस के अलावा अन्य किसी को नहीं बताए हैं। इस प्रकार मोडिया द्वारा खांगाराम को इतिला की गई हो यह स्वयं मोडिया के बयानो से कथन असत्य हो जाता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों ही गवाहों के बयानो को, जो अन्तिम रूप से देखे जाने वाले थे, पर विचार करने के बाद उन्हें सही रूप से नकारा है, जिसमें हम हस्तक्षेप के आधार नहीं पाते।

पेण्ट व टोपी की बरामदगी के सम्बन्ध में :

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दूसरी परिस्थिति पेण्ट और टोपी की बरामदगी के सम्बन्ध में जो साक्ष्य आई है, पर विचार किया। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पी.ड.7 चतरा व पी.ड.19 पोकरलाल के कथनों पर विचार किया, साथ ही आर्टिकल 7 व 8 टोपी की और पेण्ट की बरामदगी के सम्बन्ध में विचार किया, मगर पेण्ट व टोपी की बरामदगी अभियुक्त को अपराध से जोड़ने के लिए काफी नहीं पाई। हमारे द्वारा भी इस सम्बन्ध में जो साक्ष्य आई है, का अवलोकन किया गया। जहां तक पी.ड.7 चतरा, पी.ड.10 तलिया व पी.ड.19 पोकरलाल के बयानो का प्रश्न है, इन सभी के

बयानो के अवलोकन से यही तथ यसामने आता है कि 14.1.1981 की रात्रि को ट्रेक टरपर मीठालाल, लक्ष् मण पोकरलाल व कालिया थे और अभियुक् तपन् नाभी उन् हेमिला था। पोकरलाल ने कालिया को अपनी पेण् टउतार कर दी थी। पोकर, कलाराम व पन् नारामट्रेक् टर से उतर गए। फिर कला व पन् नापन् नाके बरे की तरफ चले गए। उपरोक् तबयान पी.ड.7 चतरा ने दिए हैं। पी.ड.10 तलिया का यही कथन है कि जब ये लोग ट्रेक् टरमें जा रहे थे तब उन् हपन् नामिला था उसे व पोकर को ट्रेक् टरसे उतार दिया व कहा कि पेण् टव टोपी दो। टोपी पनिया को दे दी और पोकर ने एक सफेद रंग की पेण् ट भी पनिया को दी। फिर पनिया उतर गया। उसने 100 रूपए उधार भी मांगे थे, जिसे 40 रूपए दिए थे। वह बेरे पर नहीं गया है। पी.ड.19 पोकरलाल का कथन है कि ट्रेक् टरसे वह और कलिया उतरे थे। कलिया ने 100 रूपए उधार मांगे मगर 40 रूपए दिए और कलिया ने पेण् टभी बदली थी। पनिया ने कलिया को कहा कि एक लड़की है उसे फालना उतार देना मगर बाद में ले जाना कैंसिल कर दिया।

इस प्रकार टोपी की बरामदगी से इस अभियुक् त को नहीं जोड़ा जा रहा है, यह नेमा अभियुक् त से हुई है। पेण् टकी बरामदगी का जहां तक प्रश् नहै, स् वयंचतरा के अनुसार यह पेण् ट

पोकरलाल ने कलिया को दी है और तलिया के अनुसार पेण टपनिया को देना बताया है। मगर पी.ड.19 पोकरलाल का स्पष्ट बयान है कि उसने अपनी पेण टको उतार कर कलिया को दी थी और उसने स्वयं ने धोती पहन ली थी। इस प्रकार यह पेण टपोकरलाल की होना बताई गई है जो कलिया को दी गई न कि अभियुक्त पनिया को। जहां तक लड़की साथ में होने की साक्ष यका प्रश नहै, उस लड़की को इन्हौननहीं देखा है और साथ में ले जाने का कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष की साक्ष यसे अभियुक्त पनिया की सूचना पर पेण टकी बरामदगी हुई जिस पर मानव रक्तओ ग्रुप का पाया गया, मगर यह पेण टअभियुक्त को दी गई हो, इसकी कोई विश वसनीयसाक्ष यरेकर्ड पर नहीं है। पेण टकलिया को दी गई थी और कलिया ने ही इस पेण टको सरेमल के सामने पहचान की है। पहचान की साक्ष यपर भी हमारे द्वारा विचार किया गया। पेण टकी शिनाख त पोकरलालसे करवाई गई है जिसकी फर्द प्रदर्श पी.23 बनाई है। पोकरलाल ने भी पेण टकी शिनाख तकरने के बारे में बयान दिए हैं। तीन पेण टोंमें से उसने एक पेण टपहचानी, उसने बयानो में स्पष्ट रूप से बताया है। मगर यह पेण टकलिया की थी जो अभियुक्त द्वारा कथित रूप से बरामद कराना बताया गया है, मगर मात्र पेण टकी बरामदगी से अभियुक्त को किस प्रकार से अपराध से

जोड़ा जा रहा है, अभियोजन पक्ष ने इस परिस्थितिको कड़ी के रूप में नहीं बैठाई है। यह पेण्टमृतका द्वारा पहनी गई हो, नहीं बताया गया है। इस पेण्टपर जो भी ओ ग्रुप का खून पाया गया है वह मृतका का हो, इसकी भी कोई साक्ष्य नहीं आई। इस प्रकार पोकरलाल ने पेण्ट्रजो कलिया को दी गई थी और उस पेण्टकी बरामदगी अभियुक्तपनिया से की जाना मामले को शकमय बनाता है। पेण्टकलिया द्वारा बदला गया है। हालांकि एक गवाह तलिया द्वारा पेण्टपनिया को देना भी कहा है मगर जैसाकि पोकरलाल का उपर बयान देखा गया है, कलिया ने ही पोकरलाल से पेण्टली थी। पी.ड.7 चतरा ने भी इस बात की ताईद की कि पोकरलाल ने अपनी पेण्टउतारकर कलिया को दी जिस पेण्टको पोकरलाल ने अपनी होना शिनाख्तकिया। हालांकि पेण्टकिस-किस रंग की मिलाई गई उस पर सरपंच सरेमल जिरह में खड़ा नहीं रह सका है। ऐसी पेण्ट प्रत्येक घर में मिलती है। उसके रंग कैसे थे, उसने दर्ज नहीं किए। फर्द बरामदगी पेण्टको पढ़ने से स्पष्टहोता है कि सफेद रंग की पेण्टथी, मगर मिलाने वाली पेण्टकिस रंग की मिलाई गई यह सरेमल के बयानो से ही स्पष्टनहीं हो पाया। पोकरलाल ने आर्टिकल 8 पेण्टउसने कलिया को दिया उसे अपनी होना पहचाना है और पंचायत में भी पहचाना, बयान करता है। पी.ड.10 तलिया ने

अपने बयानो में पोकरलाल ने पेण टपनिया को दी बताया है जबकि कलिया को देने के सम्‌ बन्‌ धमें पोकरलाल और चतरा के बयान है। पी.ड.10 तलिया ने यह स्‌ वीकारभी किया है कि उसे पुलिस ने तीन दिन तक मारा पीटा है और पोकरलाल को भी पुलिस ने थाने में बैठाया था और उसके साथ भी मारपीट की थी, उसमें बाद में इनके बयान पुलिस द्वारा धारा 164 दं.प्र.सं. में भी करवाए गए हैं। इस प्रकार इस पेण टकी बरामदगी के सम्‌ बन्‌ धमें यह साक्ष्‌ यआई है कि पोकरलाल का पेण टथा जो कलिया ने लिया है और उसने आगे पन्‌ नाको दिया है जबकि अन्‌ यगवाहों की साक्ष्‌ यसे पेण टकलिया को देना ही पाया जाता है और पेण टकी बरामदगी से इस अभियुक्‌ त को किसी प्रकार से परिस्‌ थितिजन्‌ यसाक्ष्‌ यसे अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता और एफ.एस.एल. रिपोर्ट जिस प्रकार से रेकर्ड पर आई है, ओ ग्रुप का खून इस पेण टपर पाया गया मगर इसे किसी प्रकार से इस कड़ी को जोड़ा जावे इसकी कोई साक्ष्‌ यरेकर्ड पर नहीं है।

<u>ट यपहरणके बारे में न्‌ यायिकेतर संस्‌ वीकृति के सम्‌ बन्‌ ध में :</u>

पी.ड.19 पोकरलाल के बयानो पर भी हमने विचार

किया जिसने अपनी पेण टउतार कर कलिया को दी है, उसके बाद पनिया व कलिया ट्रेक टरसे नीचे उतर गए। पनिया और कलिया ने कहा था कि एक लड़की को फालना लेकर जाना है मगर बाद में उन्‍ हौनकहा था कि कैंसिल कर दिया है फिर वो चले गए। दूसरे दिन पनिया होटल पर मिला। उसने कहा था कि गांव में अफवाह चल रही है कि वह चम्‍ पाको मांगलिया का गढ़ लेकर गया हूं और उसने यह भी कहा कि चम्‍ पाको पहुंचाना है इसलिए तुम ट्रेक टरया मोटर साइकिल लेकर आ सकते हो या नहीं। उसने यह भी बताया कि भादराज की नाडी के पास नंदवाना के बेरे उसे ले जाना है और उसे भंवरसिंह के पास पहुंचाना है। मगर उसके बाद वह नहीं गया। इस प्रकार जिरह में इसने स्‍ वीकारकिया कि अभियुक्‍ तको वह पहले से नहीं जानता था, 4-5 महिने पहले से जानने लगा है। पनिया ने जब यह बात कही तब उसके पास कोई नहीं था। पनिया व उसकी कोई दोस्‍ तीभी नहीं है। इस प्रकार लड़की को ले जाने वाली बाद जब गांव में फैल गई थी, अभियुक्‍ तगवाहों को जाकर क यौंकरकथन करेगा, कतई विश वसनीयनहीं माना जा सकता क यौंकिइसकी कोई दोस्‍ तीभी नहीं है। इस पर किस प्रकार से अभियुक्‍ तविश वासकरेगा यह कथन उसका बाद में सोचा हुआ प्रतीत होता है और पुलिस द्वारा इसे बन्‍ दकिया गया और मारपीट भी कह गई, यह कलिया गवाह ने

स्पष्ट रूप से स्वीकारकिया है। हालांकि इस गवाह ने स्पष्ट रूप से इनकारी की है। उसके बाद धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान भी इस गवाह के करवाए गए हैं। इस प्रकार यह गवाह दबाव में आकर ही इस तरह की साक्ष्यदेना प्रतीत होता है, स्वतंत्ररूप से इस गवाह के सामने यह वाका हुआ हो, कथन कतई इसका विश्वसनीयनहीं माना जा सकता।

इस प्रकार उपरोक्त ततमाम साक्ष्यपर विचार करने से मात्र अधीनस्थन्यायालयद्वारा पेण्टकी और टोपी की बरामदगी से और उपरोक्त तबयान मात्र से अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाली कोई परिस्थितिप्रमाणित नहीं पाई, जिससे हम सहमत हैं। यह ऐसी परिस्थितिनहीं है जो अभियुक्त को अपराध से जोड़ सके।

इसके अलावा अन्य परिस्थिति जिस पर अधीनस्थन्यायालयने परिस्थितिजन्यसाक्ष्य के रूप में विचार किया है, ओढ़नी की बरामदगी के सम्बन्ध में है। अधीनस्थन्यायालयद्वारा मृतका के ओढ़नी व जेवरात की बरामदगी अभियुक्तगणके कब्जेसे होना प्रमाणित पाया है और धारा 379 भा.दं.सं. का आरोप भी प्रमाणित पाया है। अत: इस न्यायालयको अब वलमें यह देखना है कि धारा 379 भा.दं.सं. का जो आरोप अधीनस्थन्यायालय ने प्रमाणित पाया है, प्रमाणित होने का आधार रेकर्ड पर है अथवा नहीं

और यदि धारा 379 भा.दं.सं. का आरोप यदि प्रमाणित पाया जाता है तो क याअभियुक्त को धारा 302 के आरोप से भी जोड़ा जा सकता है अथवा नहीं। अभियुक्त नेमा के विरूद्ध यह आरोप था कि उसने चम्पा के शरीर से पैरो की कडियों की चोरी की। अधीनस्थ न्यायालयने तमाम साक्ष्यका अवलोकन करने के बाद अभियुक्त नेमा के कब्जे से मृतका चम्पा के पैरो की कडिया बरामद होना प्रमाणित पाया है और पनिया के विरूद्ध यह आरोप था कि कानो के टोटे एवं बालियों की चम्पा के शरीर से चोरी की। इस सम्बन्ध में भी अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य के अवलोकन से गहनों की बरामदगी प्रमाणित पाई साथ ही ओढ़नी की बरामदगी भी प्रमाणित पाई। मृतका के कपड़े, ओढ़नी की बरामदगी भी प्रमाणित पाई और धारा 379 भा.दं.सं. के आरोप में अभियुक्त को दोषी करार दिया है, धारा 302 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित होने की कोई साक्ष्य नहीपाई गई। अधीनस्थन्यायालयने अपने निर्णय में यह भी पाया कि मृतका की मृत्युका कारण डूबना था और पी.ड.21 डॉ0 चम्पालाल बम्बोलीकी साक्ष्यका अवलोकन करने के बाद अधीनस्थन्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा कि यह मृत्युअपने आप डूबने से भी हो सकती है। योग्यअभिभाषक अपीलाण्टऔर रेस्पोंडेण्टपनिया के द्वारा राज्यसरकार द्वारा की गई अपील में यह भी बहस की गई है

कि इस प्रकरण में मृतका की मृत्‍ युमानव वध हो उसकी भी कोई साक्ष् यनहीं आई है क यौंकियह आत्‍ महत्‍ यका केस भी हो सकता है व दुर्घटना का भी हो सकता है। रेकर्ड पर यह साक्ष् यनहीं कि यह मृत्‍ युमानव वध हो। इस प्रकार उनका तर्क रहा कि धारा 379 भा.दं.सं. के आरोप अभियुक्‍ तके विरूद्ध अव वलमें प्रमाणित ही नहीं होता है और धारा 379 भा.दं.सं. के आरोप प्रमाणित भी हो तो भी अधीनस्‍ थन् यायालयद्वारा माननीय उच् चतमन् यायालयव माननीय उच् चन् यायालयके विनिश् चयोंपर अपना निर्णय आधारित किया है जिसमें हस्‍ तक्षेप के आधार नहीं माने जावे। जबकि योग् य जन अभियोजक का तर्क रहा कि अभियुक्‍ तके कब् जेसे ओढ़नी व गहनो की बरामदगी हुई है इस कड़ी से अभियुक्‍ त को धारा302 भा.दं.सं. के आरोपों से भी जोड़ा जा सकता है।

अत: इस न् यायालयको सर्वप्रथम यही देखना है कि क याअभियुक्‍ तके कब् जेसे ओढ़नी की बरामदगी हुई अथवा नहीं और अभियुक्‍ तपनिया के कब् जेसे कान के टोटे, बालिया बरामद हुए अथवा नहीं। अभियुक्‍ तनेमा के विरूद्ध मात्र चोरी का आरोप है अत: अभियुक्‍ तनेमा से कडले बरामद हुए या नहीं इस पर विचार करना है।

<u>पनिया के कब जे से ओढ़नी की बरामदगी के सम बन्ध में:</u>

जहां तक ओढ़नी की बरामदगी का प्रश नहै, अधीनस्थ न यायालयने ओढ़नी की बरामदगी प्रमाणित मानी है और इस सम बन्ध में धारा 379 भा.दं.सं. के तहत अभियुक्त को दोषी पाया। इस सम बन्ध में हमारे द्वारा अधीनस्थ न यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न यायालय ने पी.ड.6 चेनाराम, पी.ड.12 सवाईसिंह, पी.ड.22 बाबूखां व पी.ड.23 नाहरसिंह के बयानो के आधार पर अभियुकत की इतिला के अनुसार ओढ़नी की बरामदगी प्रमाणित पाई और पी.ड.5 सोनी द्वारा पी.ड.18 सरेमल के सामने कार्यवाही शिनाख तगी में उसकी पहचान भी प्रमाणित पाई। मगर अधीनस्थ न यायालयने यह भी स्पष्ट रूप से साक्ष यमें पाया कि यह ओढ़नी भी उसी कुए में से निकली थी जिसमें मृतका की लाश मिली।

हमारे द्वारा उपरोक्त साक्ष यका अवलोकन किया गया। प्रदर्श पी.3 के अनुसार मृतका की लाश दिनांक 21.1.1981 को सरहद सिणदरली के पडत बेरा में पानी में तैरती हुई पाई गई है। उदा को कुए में उतारा गया और खाट पर उसको लेटाकर उसकी लाश बाहर

निकाली है। उसके घाघरा व कब जापहना पाया गया था। जब लाश निकाली ओढ़नी साथ निकालना नहीं पाया जाता। घाघरा व कब जा बाद में पुलिस ने कब जेमें भी लिया है। तत पश चात्प्रदर्श पी.8 के अनुसार ओढ़नी की बरामदगी की गई है। अभियुक तकी सूचना इसके सम बन धमें प्रदर्श पी.32 बताई गई है। इस सम बन धमें अभियोजन पक्ष के द्वारा जो जुबानी साक्ष यपेश हुई है उसका भी हमारे द्वारा संक्षेप में अवलोकन किया गया।

पी.ड.6 चेनाराम का कथन है कि एक औरत की लाश बेरे में तैरती देखी थी, फिर थाने में इतिला की। पुलिस ने लाश कुए में से निकाली। फर्द मौका प्रदर्श पी.6, नक शा मौकाप्रदर्श पी.7 बनाया। उसके 14 दिन बाद पनिया की निशादेही से एक ओढ़नी भी निकाली थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी.8 बनाई थी। इसका यह भी कथन है कि जिस समय लाश निकाली उस समय पता नहीं था कि ओढ़नी कुए में है। पी.ड.11 जगाराम का भी कथन है कि एक कुए में से लाश औरत की निकली थी, उसके शरीर पर एक लहंगा व कब जाथा इसकी इतिला पुलिस को दी थी। लाश उनके सामने निकाली थी तब खांगा मौजूद नहीं था। पी.ड.12 सवाई सिंह का भी कथन है कि अभियुक तपनिया ने एक ओढ़नी बरामद कराई जिसे पुलिस ने कब जेमें लेकर सीलबन द किया गया जिसकी फर्द प्रदर्श

पी.8 है जो आर्टिकल 1 है। पी.ड.22 बाबू खां का भी कथन है कि प्रदर्श पी.8 पर उसके हस्ताक्षरहै। कुए में से एक ओढ़नी निकाली थी जो आर्टिकल 1 है। मगर इसका जिरह में कथन है कि ओढ़नी की बरामदगी के समय खंगाराम मौजूद था और उसी ने ओढ़नी कुए में से निकाली थी। पी.ड.23 नाहर सिंह का कथन है कि दिनांक 4.2.1981 को अभियुक्त तपनिया ने पेण टव ओढ़नी के बारे में सूचना दी थी। जिस कुए में लाश मिली उस कुए में ही होने के बारे में सूचना दी थी, ढूंढा जावे। जिसकी इतिला प्रदर्श पी.32 है। इस इतिला के अनुसार प्रदर्श पी.8 के अनुसार ओढ़नी भी बरामद करवाई जिस पर भी उसके हस्ताक्षर है, इसने जिरह में स्वीकार किया। ओढ़नी जब कुए में बरामद हुई खांगाराम मृतका का भाई मौजूद था मगर इस बात से इनकार करता है कि खांगाराम ने ओढ़नी निकाली हो। इस बात को भी इनकार करता है कि लाश बरामद करने के दो-तीन दिन बाद ही ओढ़नी निकाल ली हो। मगर इस सम्बन्ध में ओढ़नी की बरामदगी, उपरोक्त ततमाम साक्ष्य से अभियुक्त की इतिला के अनुसार ओढ़नी की बरामदगी 4.2.1981 को की गई हो, पी.ड.1 खांगाराम, जो मृतका का भाई है, के बयानो से अविश्वसनीय हो जाती है। पी.ड.1 खांगाराम ने अपने बयानो में स्पष्ट रूप से स्वीकारकिया है कि कुए में से चम्पा का ओढ़ना निकाला था।

चम् पाका ओढ़ना कुए में से लाश निकालने के 2-3 दिन बाद निकाला था, उसने व डिप् टीसाहब ने निकलवाया था, जिस समय लाश निकाली तब लाश पर घाघरा व कब् जाही था। इस प्रकार तफ्तीश कुनिन् दाको भी स् पष् ट्रूप से पूछा गया था कि ओढ़ना लाश मिलने के 2-3 दिन बाद ही निकाल लिया गया हो, जिससे तफ्तीश कुनिन् दाने स् पष् ट्इनकारी की है। मगर खांगाराम ने अभियोजन पक्ष की कहानी को कि अभियुक् तपनिया की इतिला के अनुसार ओढ़ना की बरामदगी की गई हो, पूरी साक्ष् यको यह अकेला गवाह ही झुठला देता है और ओढ़ना की बरामदगी लाश मिलने के 2-3 दिन बाद ही कर ली गई थी। लाश 21.1.1981 को मिली है और उसके 2-3 दिन बाद अर्थात् 22 या 23 तारीख के आसपास ओढ़ना को कुए से निकाला गया। इस प्रकार प्रदर्श पी.8 फर्द के बारे में उपर नाहरसिंह व अन् यमौतबीर गवाहों जगाराम, सवाईसिंह, बाबू खां आदि मौतबीर गवाहों ने जो साक्ष् यदी है वह तमाम साक्ष् यस् वयं मुस् तगीसखांगाराम के बयानो से ही असत् यहो जाती है। खांगाराम की उपस्ि थतिके बारे में उपरोक् तमौतबीर गवाहों के बयानो में भी इसी आधार पर मतभेद भी आए है। कईयों ने खांगाराम की उपस् थिति बरामदगी के समय मानी है, कईयों ने इससे इनकार किया है। तफ्तीश कुनिन् दानाहर सिंह, डिप् टीएस.पी. ने अपने बयानो में

खांगाराम की उपस्थिति को स्वीकार किया है, मगर इस बात से इनकार किया कि ओढ़ना दो-तीन दिन बाद ही निकाला गया हो।

पी.ड.6 चेनाराम ने भी अपने बयानो में यह कहा है कि ओढ़नी को उसने स्वयं ने निकाला है, जबकि पी.ड.22 बाबूखां का कथन है कि ओढ़नी खांगाराम ने कुए से निकाली। उपरोक्त प्रकार से ओढ़नी कुए में से अभियुक्त के द्वारा अपनी निशादेही के अनुसार बरामद कराई हो, अभियोजन पक्ष की उपरोक्त साक्ष्य से शकमय हो जाती है। वास्तव में ओढ़नी मृतका की लाश मिली उसके 2-3 दिन बाद ही जब बरामद कर ली गई तो प्रदर्श पी.8 फर्द के अनुसार बरामदगी कतई विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती न अभियुक्त की इतिला प्रदर्श पी.32 ही विश्वसनीय मानी जा सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ओढ़नी बरामद करने के बाद इस प्रकरण में साक्ष्य तैयार करने का प्रयास तफ्तीश कुनिन्दा द्वारा किया गया है।

अदालत में ओढ़नी की बरामदगी ही स्वयं मुस्तगीस खांगाराम के बयानो से व अन्य साक्ष्य से अविश्वसनीय हो जाती है। इसके बावजूद भी शिनाख्त तगी के समक्ष भी साक्ष्य का अवलोकन करें। यह लाल कत्थई चुनरी थी जो बरामद की गई है, जो प्रदर्श पी.8 के अनुसार जो हुलिया लिखा है जिसमें गांठ भी लगी थी और गल चुकी थी, उसे सीलबन्द किया गया। पी.ड.18 सरेमल

के सामने इसकी कार्यवाही शिनाख तगीकराई गई है और सोनी ने इसे सही पहचाना उसने अवश य अपेनबयानो में कहा है, जिसकी पुद्र प्रदर्श पी.22 बनाना भी अपने बयानो में कहा है। मगर सरेमल का यह कथन कि जिस ओढ़नी की शिनाख तगीकराई वह फटी हुई थी या नहीं उसे याद नहीं। ओढ़नी का नाप उसने नहीं लिया, उसमें गांठ थी या नहीं पता नहीं। सोनी ने उसे पहचानने का कोई खास कारण भी नहीं बताया। मिलाई गई ओढ़नियां पुरानी थी टुकड़ो में नहीं थी जबकि सोनी, जिसने इस ओढ़नी को पहचानी है, उसका कथन है कि वह ओढ़ना पहचानने के लिए पंचायत में गई थी। उस ओढ़ने के साथ दो ओढ़ने और मिलाए गए थे जो पुराने थे मगर वे फटे हुए नहीं थे। उसने अपनी लड़की का जो ओढ़ना पहचाना था वह फटा हुआ था। ओढ़ने के दो टुकड़े छोटे छोटे थे व बाकी का बंधा हुआ था। मगर छोटे टुकड़े नहीं मिलाए गए थे। इस प्रकार की कार्यवाही शिनाख तगी़ जो सरपंच के द्वारा की गई और सोनी ने भी ओढ़ना जिस आधार पर पहचाना, मिलते जुलते ओढ़ने नहीं मिलाए हैं। जो ओढ़ना बरामद किया गया है वह गांठ बन धाटुकड़ो में था। ऐसी कोई ओढ़निया भी शिनाख तगीके वक तनहीं मिलाई गई। इस प्रकार शिनाख तगीकी कार्यवाही भी जो पूर्व में की गई है वह विश वसनीयनहीं पाई जाती।

इस प्रकार उपरोक्त तमाम साक्ष्य के अवलोकन से अधीनस्थ यायालयद्वारा ओढ़ना की बरामदगी अभियुक्त कीइतिला के अनुसार करना प्रमाणित पाया, मगर हमारी विनम्र राय में उपरोक्तसाक्ष्यके मूल्यांकन से ओढ़ना की बरामदगी अभियुक्त की इतिला प्रदर्श पी.8 के जरिए दिनांक 4.2.1981 को किया जाना कतई शक से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं होती और स्वयंमुस्तगीस खांगाराम के बयान से लाश दिनांक 21.1.1981 को कुए से मिली उसके दो-तीन दिन बाद ही उसने व डिप्टीएस.पी. ने निकलवाया था। खांगाराम के बयानो को, जो कि मुस्तगीसहै, नहीं मानने के कोई कारण नहीं है। शिनाख्तगीकी कार्यवाही में भी इसी प्रकार की फटी ओढ़निया मिलाना नहीं पाया जाता। इस प्रकार आर्टिकल 1 मृतका की ओढ़नी अभियुक्त की इतिला के आधार पर बरामद होना ही अत्वलमें प्रमाणित नहीं होता और अभियोजन पक्ष की जो साक्ष्य उपरोक्तअवलोकित की गई है, विश्वसनीयनहीं मानी जा सकती।

<u>नेमा व पनिया के कब्जेसे मृतका के जेवरात की बरामदगी एवं धारा **379** भा.दं.सं. के आरोप के सम्बन्धमें :</u>

अधीनस्थ यायालय द्वारा अपने निर्णय में अभियुक्तगणनेमा व पनिया के विरूद्ध धारा 379 भा.दं.सं. का

आरोप प्रमाणित पाया है जिसमें कपड़े व जेवरात की बरामदगी का आरोप प्रमाणित पाए गए हैं, मगर कपड़ों की बरामदगी में ओढ़नी की बरामदगी शक से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं पाई जाती और जेवरात की बरामदगी का जहां तक प्र१ न है, इस सम् बन् धमें अधीनस् थन् यायालयके द्वारा अपने निर्णय में साक्ष् यका मूल् यांकन किया गया है। हमारे द्वारा भी रेकर्ड का विस् तृत रूप से अवलोकन किया गया। योग् यअभिभाषक अभियुक् तगणपनिया व नेमा की ओर से बरामदगी की कार्यवाही अभियुक् तगणसे कोई भी सूचना के अनुसार बरामदगी नहीं करने की बहस की है। जबकि योग् यजन अभियोजक ने अधीनस् थन् यायालयके निर्णय के समर्थन में बहस की है।

हमारे द्वारा विस् तृत रूप से रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस् थन् यायालय द्वारा अपने निर्णय में अभियुक् त के विरूद्ध धारा 379 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित पाया है जिसमें जेवरात की बरामदगी, जो अभियुक् तके कब् जेसे हुई जिसमें नेमा अभियुक् तके कब् जेसे पैरो की कडिया बरामद होना और अभियुक् त पनिया की इतिला के अनुसार कानो की टोटी व बाली की बरामदगी प्रमाणित पाई है। इस सम् बन् धमें अतिरिक् तसेशन न् यायाधीशद्वारा पी.ड.5 सोनी के बयानो के अलावा पी.ड.12 सवाई सिंह, पी.ड.18

सरेमल, पी.ड.213 नाहर सिंह, पी.ड.13 भंवरसिंह, पी.ड.14 सका के बयानो के आधार पर प्रदश' पी .13 व पी .14 फर्दो स` और अभियुक्त तगणकी सूचनाओ के आधार पर अभियुक्त तगणसे माल की बरामदगी प्रमाणित पाई। सरेमल के सामने कार्यवाही शिनाख्त तगी भी माल की करवाई गई और सोनी ने माल को सही पहचाना है और न्यायालयमें भी उसने सही पहचाना है।

जहां तक कडिया, कानो की टोटी व बाली की बरामदगी का प्रश्न है, पी.ड.1 खांगाराम ने अपने बयानो में स्वीकार किया है कि मृतका जब घर से गई तब उसके पैरो में चांदी की कडिया, कानो में टोटीयां, कान में बेडले व नाक में सोने की नथ थी। इसी प्रकार पी.ड.5 सोनी ने भी अपने बयानो में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस वक्त तवह निपटने गई उस वक्त ताचम्पाके कानो में टोटिया चांदी की, कानो में 6 बेडले व नाक में सोने की नथ, पैर की चांदी की डिया पहने हुए थे। इस माल को उसने पंचायत में पहचाना था। यह माल हाजिर अदालत टोटी 2 आर्टिकल 4, वेडले 6 आर्टिकल 5 और कडला जोडी आर्टिकल 6 है। ओढ़नी आर्टिकल 1, घाघरा आर्टिकल 2 व कब्जाआर्टिकल 3 है। मुण्डारामें भी इसे पहचाना था। पी.ड.18 सरेमल, जो सरपंच है, ने भी कार्यवाही शिनाख्त तको प्रमाणित की है। तफ्तीश कुनिन्दानाहर सिंह ने अपने बयानो में

अभियुक्त तपनिया की इतिला प्रदर्श पी.30 व अभियुक्त तनेमा की इतिला प्रदर्श पी.31 को प्रमाणित की है व प्रदर्श पी.30 व पी.31 की इतिला के अनुसार अभियुक्त तपनिया द्वारा प्रदर्श पी.13 सूचना के अनुसार टोटिया और बालिया बरामद करवाई और प्रदर्श पी.14 के अनुसार कडियो की बरामदगी अपने मकान से इतिला के अनुसार नेमा ने बरामद करवाई। पी.ड.13 भंवरसिंह ने अपने बयानो में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त तनेमा ने अपने मकान से कडला जोडी आर्टिकल 6 बरामद कराया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी.14 है। पी.ड.14 सका ने यह कडिया बनवाई है जो आर्टिकल 6 है और इसने भी इन कडियो को पंचायत में पहचान की है। सका का यह कथन है कि रिवाज के अनुसार भी ये कडिया चम्पाको पहनाई थी जो 60 तोला की थी जो तारा सुनार से बनवाई थी और इन कडियों को न्यायालयमें भी इसने पहचाना है और पंचायत के सामने भी पहचाना है। इसी प्रकार पी.ड.12 सवाई सिंह ने भी अपने बयानो में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त तपनिया ने दो टोटिये व 6 बालिये पुलिस को बरामद कराए थे जिसकी फर्द प्रदर्श पी.13 है जो आर्टिकल 4 व 5 हाजिर अदालत है। पी.ड.18 सरेमल ने कडिया, बेडले व टोटियों की कार्यवाही शिनाख्तगी उसके सामने करवाई है जिसे गवाहो द्वारा सही पहचान की गई थी। पी.ड.23 नाहर सिंह ने

अपने बयानो में अभियुक्त तगणद्वारा दी गई इतिलाएं और मौतबीरो के सामन` उपरोक्त ज`वरात की बरामदगी प्रमाणित की ह`ै। अधीनस्थ न्यायालयद्वारा उपरोक्त तसाक्ष यका विस्तृतरूप से विवेचन किया गया है और अभियुक्त तगणके कब्जेसे जेवरात की बरामदगी प्रमाणित मानी है। अभियुक्त तगणके कब्जेसे माल की बरामदगी होना चूंकि प्रमाणित पाई गई, मगर यह वाके के काफी दिन बाद बरामदगी होना पाई जाती है। मृतका घर से गई है जो अपनी मर्जी से जाना पाया जाता है। अभियुक्त तगणद्वारा उसे फरार करके ले जाने की साक्ष यरेकर्ड पर नहीं आई और अभियुक्त तगणके पास ही जेवरात मौजूद थ` इस` नहीं नकारा जा सकता। यह माल अभियुक्त तगणको उसने दे दिया हो या मुल्जिमानने उससे यह माल जबरदस्तीछीन लिया हो, इसकी साक्ष यरेकर्ड पर नहीं आई है। चूंकि ये चोरी का माल अभियुक्त तगणके कब्जेसे वाके के करीब 18-20 दिन बाद दिनांक 3.2.1981 की सूचनाओ के अनुसार बरामद किया गया है और 14 जनवरी, 1981 का वाका होना बताया गया है, मृतका की मृत्युलाश मिलने के तीन-चार दिन पहले होना पाई गई है, यह 22.1.1981 की पोस्टर्माटम रिपोर्ट से पाया जाता है। 17-18 जनवरी के आसपास मृतका की मृत्युहोना पाया गया है। इन परिस्थितियोंको देखते हुए अभियुक्त तगणके पास चोरीशुदा माल की

बरामदगी हुई है। इस प्रकार अभियुक्त तगणद्वारा माल की चोरी की गई हो, इसकी उपधारणा लिया जाना सुरक्षित नहीं पाया जाता। हम योग्य अभिभाषक अभियुक्त तगप्पअपीलाण्ट टाननेमा व पनिया के तर्को से सहमत नहीं कि अभियुक्त तगण से जेवरात की बरामदगी नहीं हुई हो और धारा 379 भा.दं.सं. का आरोप अभियुक्त तगण के विरूद्ध नहीं बनता हो। इतना अवश्य रेकर्ड पर पाया जाता है कि अभियुक्त तगणके विरूद्ध धारा 379 भा.दं.सं. के स्थानपर धारा 411 भा.दं.सं. का आरोप शक से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित है। कोई प्रत्यक्षसाक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त तगणद्वारा ही यह मान छीना गया हो या चोरी की गई हो। मगर अभियुक्त तगण के कब्जे से चूंकि चोरीशुदा माल बरामद हुआ है अतः अभियुक्त तगणके विरूद्ध सुरक्षित रूप से यह उपधारणा ली जा सकती है कि उन्हौंने चोरी का माल जानते हुए अपने पास रखा। अतः अभियुक्त तगणके विरूद्ध धारा 379 भा.दं.सं. के स्थानपर धारा 411 भा.दं.सं. का आरोप शक से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित माना जा सकता है।

<u>सभी परिस्थितियों के विवेचन के बाद क्या धारा **302** भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित हुआ अथवा नहीं :</u>

मगर जहां तक धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप का प्रश्न

है, हमें यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण को मात्र जेवरात या कपडो की बरामदगी के आधार पर धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप से जोडा जा सकता है अथवा नहीं। जहां तक नेमा का प्रश्नहै उससे जेवरात की बरामदगी हुई है मगर राज्यसरकार द्वारा नेमा को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में बरी किए जाने के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई है, अभियुक्त तपनिया को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में बरी किए जाने के विरूद्ध अवश्यअपील हुई है। मगर यह देखना है कि अभियुक्त तपनिया को उससे बरामद हुए जेवरात के आधार पर अभियुक्तको धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप से जोड़ा जा सकता है अथवा नहीं। अधीनस्थन्यायालयद्वारा इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतमन्यायालय के विनिश्चयो के आधार पर अपना निर्णय आधारित किया है और मात्र जेवरात की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित नहीं पाया। इसके अलावा अधीनस्थन्यायालयने यह भी पाया कि इस प्रकरण में यह भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्टनहीं हो पाया है कि यह मृत्युमानव वध थी या आत्महत्या का प्रकरण था। इस प्रकार धारा 302 भा.दं.सं. का आरोप अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रमाणित नहीं पाया गया।

हमारे द्वारा माननीय उच्चतमन्यायालयके विनिश्चयो

का अवलोकन किया गया।

ए.आई.आर. 1956 सुप्रीम कोर्ट 54 (सांवत खां व अन् यबनाम राजस् थानराज य) वाले विनिश चयमें माननीय उच् चतम न् यायालयने पैरा 5 व 6 में निम् नसिद्धांत दिया गया है :

> "From the solitary circumstance of the unexplained recovery of the two articles from the houses of the accused the only inference that can be raised in view of illustration (a) to S. 114 is that they are either receivers of stolen property or were the persons who committed the theft, but it does not necessarily indicate that the theft and the murders took place at one and the same time." (Para 5)

> "No hard and fast rule can be laid down as to what inference should be drawn from a certain circumstance. Where, however, the only evidence against an accused person is the recovery of stolen property and although the circumstances may indicate that the theft and the murder must have been committed at the same time, it is not safe to draw the inference that the person in possession of the stolen property was the murderer. Suspicion cannot take the place of proof." (Para 6)

ए.आई.आर. 1977 सुप्रीम कोर्ट 1063 (हुकम सिंह

बनाम राजस्थान राज्य) विनिश्चयके पैरा 4 में निम्नलिखित सिद्धान्त दिया गया है :

> "4. So far as the 'kesla' containing ornaments and other articles belonging to Sujan Singh is concerned, it is no doubt true that it was recovered at the instance of the appellant and, therefore, there can be no doubt that the appellant was found in possession of stolen property soon after the incident and this circumstance clearly justified the conviction of the appellant for the offence of theft punishable under Section 380. But the question is how far it could have any evidentiary weight for connecting the appellant with the gruesome and ghastly murders which took place in the hutment? Obviously, something more would be required to connect the appellant with the murders than mere possession of ornaments and other articles belonging to Sujan Singh, because it is quite possible that the appellant may have had nothing to do with the murders and he might have merely stolen the ornaments and other articles belonging to Sujan Singh after the murders were committed by some others."

इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालयद्वारा अपने निर्णय में इस न्यायालयकी खण्डपीठके विनिश्चय 1979 क्रि.लॉ.रि. (राज.) 585 (मजना बनाम राजस्थानराज्य) को आधारित किया है, जिसके

पैरा 11 में इस न यायालयकी खण डपीठके द्वारा निम नसिद्धान त दिया गया है :

> "We are, therefore, satisfied that the prosecution could not successfully prove the offences under section 302, 460 and 392/397, IPC against the appellant, because it was possible that he might have merely stolen away gold 'markies' and a 'zeroi' belonging to Teja deceased, after his murder by some one else. Appellant was found in possession of gold 'markies' and a 'zeroi' of Teja, soon after the theft and it can safely be presumed that he was a thief as he could not account for his possession of these two articles. The appellant was, therefore, guilty of the offence under section 380, IPC and in this view of the matter his conviction has to be altered from under section 392/397 to one under 380, IPC. The appellant is, further entitled to acquittal of the offences under section 302 and 460, IPC."

उपरोक तविनिश चयों को आधार मानते हुए अधीनस थ न यायालयने यह स पष ठाया कि मात्र जेवरात की बरामदगी के आधार पर अभियुक तगण को हत या के अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता। अधीनस थन यायालयने यह पाया कि मृतका चम पाअपने घर से 14 व 15 जनवरी की रात को गई और उसके बाद उसकी लाश दिनांक 22.1.1981 को सिण दरली के बेरे से निकाली गई।

पी.ड.21 डॉ. चम पालालबम बोलीव प्रदर्श पी.27 पोस टर्माद्म रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत युका कारण Asphyxia as a result of antemortem drowing था। चिकित सकने भी यह बयान में स वीकार किया कि उसकी मृत युअपने आप डूबने से भी हो सकती है। दो-तीन दिन पूर्व डूबने से मृत युहोना पोस टर्माद्म रिपोर्ट में भी लिखा गया था। अधीनस थन यायालयने यह स पष द्माया कि पत्रावली पर अभियोजन की ओर से ऐसी कोई विश वसनीय साक्ष य पेश नहीं की गई कि मृतका को अभियुक तगण के साथ सिणदरली गांव में देखा गया हो। इसके अलावा हत याका कोई आशय होना भी रेकर्ड पर प्रमाणित होना नहीं पाया। उपरोक तविनिश चयोके आधार पर मात्र जेवरात की बरामदगी के आधार पर, अभियुक तकी मृतका के परिवार से कोई रंजिश भी नहीं होना पाई गई है और ना ही कोई आशय ही बताया गया है, जेवरात चुराने के लिए हत याकी गई हो या आशय भी रेकर्ड पर प्रमाणित नहीं पाया गया है, इस प्रकार तमाम परिस्थितिजन यसाक्ष य के अवलोकन के बाद अधीनस थन यायालयने यह पाया कि मात्र यह परिस्थितिअभियुक तके हत या का आरोपी होने के बारे में इंगित नहीं करती न ही अपराध की सभी कडियों को जोडती है। इस आधार पर धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में अधीनस थन यायालयने अभियुक तगणको बरी किया है।

हमारे द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा इस न्यायालयकी खण्डपीठके विनिश्चयोंका आदर-पूर्वक अवलोकन किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय व इस न्यायालयकी खण्डपीठके उपरोक्त विनिश्चयोंके आधार पर यह सुरक्षित रूप से नतीजा निकाला जा सकता है कि मात्र जेवरात की बरामदगी के आधार पर हत्या के आरोप से अभियुक्तगण को नहीं जोड़ा जा सकता, उसके लिए अन्यसाक्ष्यभी अपराध से जोड़ने वाली रेकर्ड पर आनी चाहिए।

इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अन्तिम रूप से अभियुक्तको जूना गांव में देखने के सम्बन्धमें साक्ष्यदी थी, मगर वह साक्ष्य, जैसाकि ऊपर देखी जा चुकी है, विश्वसनीय नहीं पाई गई। सिणदरली की सरहद के बेरे में लाश मिली उसके आसपास मृतका के साथ अभियुक्तगण को देखा गया हो, इसकी कोई साक्ष्यरेकर्ड पर नहीं है।

पी.ड.19 पोकरलाल के बयानो के सम्बन्धमें ऊपर विस्तृत रूप से अवलोकन किया जा चुका है और उसके सामने अभियुक्तके द्वारा कोई भी न्यायिकेतर संस्वीकृति की हो, अविश्वसनीयमाना गया है। पेण्टपर पाए खून का मृतका के खून से मिलान नहीं पाया गया। किसी प्रकार की कोई रंजिश मृतका के

परिवार से अभियुक्त की हो, रेकर्ड पर नहीं पाई गई न ही हत्या का कोई हेतु ही पाया गया। मृतका अपने घर से 14 व 15 जनवरी 1981 की रात को गई है उसके बाद 21 जनवरी, 1981 की रात को सिणदरली की सरहद के बेरे में उसकी लाश मिली है। अभियुक्त तगण ने जेवरात मृतका के चोरी किए या लाश के कुए में होने का ज्ञान होने पर उनके द्वारा निकाल लिए गए या उसके पूर्व ही मृतका ने उसे दे दिए, इसकी कोई भी साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। मगर इस परिस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता कि मृतका के जेवरात की अभियुक्त तगण से बरामदगी मात्र इस कयास को निकालने के लिए काफी नहीं है कि अभियुक्त तगण के द्वारा ही हत्या कारित की गई हो। चिकित्सकीय साक्ष्य का भी, जैसाकि ऊपर अवलोकन किया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त साक्ष्य का विस्तृत में अवलोकन किया गया है, रेकर्ड पर यह नहीं पाया जाता है कि मृतका की मृत्यु मानव वध थी या आत्महत्या थी या दुर्घटना से मृत्यु हुई। मात्र डूबने से सांस घुटने से मृत्यु होना पाया गया। चिकित्सक ने यह स्पष्ट माना है कि वह स्वयं भी डूबकर मर सकती थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मृतका की हत्या की गई हो या मानव वध किया गया हो, यह भी चिकित्सक के बयानों से

स्पष्ट नहीं होता। इस प्रकार मात्र जेवरात की बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणके विरूद्ध हत्या का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

अपील न्यायालयका बरी किए गए प्रकरणों में अपील की सुनवाई के समय क्या क्षेत्राधिकार है, इसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतमन्यायालय के विनिश्चयों का हमने ऊपर स्पष्ट रूप से अवलोकन किया है और इससे स्पष्ट है कि जब तक कि अधीनस्थ न्यायालयका निर्णय या मूल्यांकन दूषित नहीं हो और कानून के दिए हुए प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं हो इसके अलावा अपील न्यायालयको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जहां अधीनस्थ न्यायालयने साक्ष्यका मूल्यांकन करने के बाद में एक नतीजा दिया है और यदि दूसरा नतीजा भी निकलता हो तो ऐसे प्रकरण में अभियुक्तके पक्ष में जो नतीजा निकाला जावे उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार अपील न्यायालय को बरी किए गए प्रकरणों में बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ही यदि निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत और साक्ष्यका मूल्यांकन दूषित हो तभी हस्तक्षेप करना चाहिए। परिस्थितिजन्यसाक्ष्यके सम्बन्ध में भी हमने ऊपर कानून की स्थितिको अवलोकित किया है और उससे स्पष्ट हैसिद्धान्तहै कि जहां सभी परिस्थितिअपराध से

जोड़ने वाली शक से परे पूर्ण रूप से साबित होना और सभी परिस्थितियोंको जोड़ने के बाद में एक ही नतीजा निकलना चाहिए कि अभियुक्त ने ही अपराध किया और वह किसी अन्य परिकल्पा की ओर ध्यान आकर्षित यदि नहीं करे तभी उन परिस्थितिजन्य साक्ष्यसे अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सकता है।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का एवं साक्ष्यका, जैसाकि ऊपर अवलोकन किया गया है, अधीनस्थ न्यायालयद्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार की दूषितता नहीं पाते और प्रतिपादित सिद्धान्तोके अनुसार साक्ष्यका मूल्यांकन करके अधीनस्थन्यायालयइस नतीजे पर पहुंचा है कि मात्र जेवरात की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त कोहत्याके आरोप से नहीं जोड़ा जा सकता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी अधीनस्थन्यायालयने नहीं माना कि यह मृत्युमानव वध थी या आत्महत्यथी या दुर्घटनावश मृत्युहुई। इस प्रकार इस प्रकरण में भी उपरोक्त परिस्थितिजन्यसाक्ष्यसे मात्र इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि अभियुक्तके द्वारा ही हत्याकी गई हो। इस प्रकरण में अन्य परिकल्पाभी निकाली जा सकती है क्योंकिइस प्रकरण में मृतका की मानव वध से हत्याहुई हो यह भी शक से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः हमारी विनम्र राय में अधीनस्थ

न यायालयद्वारा अभियुक्त पनिया व नेमा को धारा 302 व 363 भा.दं.सं. के आरोप में बरी किया है, उस निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाते।

उपरोक्त ततमाम विश्लेषण से राज्य सरकार द्वारा जो अपील संख्या 393/1983 (स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पनिया) अभियुक्त तपनिया के विरूद्ध धारा 302 एवं 363 भा.दं.सं. के आरोप में बरी करने के सम्बन्ध में की है, इस अपील में हम कोई बल नहीं पाते, जो अपील खारिज किए जाने योग्य है और खारिज की जाती है।

जहां तक अभियुक्त तगणद्वारा अपील संख्या 133/1983 (नेमा व अन्यबनाम राजस्थानराज्य) पेश की गई है, इस अपील के सम्बन्ध में रेकर्ड पर आई तमाम साक्ष्य को देखते हुए अभियुक्त तगणके विरूद्ध धारा 379 भा.दं.सं. का जो आरोप प्रमाणित पाया गया है व जो दोषसिद्धि पारित की है उसके स्थान पर अभियुक्त तगणनेमा व पनिया को धारा 411 भारतीय दण्डसंहिता के आरोप में दोषी करार दिया जाता है और उनकी सजाओं में संशोधन करके दोनों अभियुक्त तगणको धारा 411 भा.दं.सं. के आरोप में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा व पांच-पांच सौ रूपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त तगणको तीन माह के कठोर कारावास की सजा और भुगताई जाएगी। अभियुक्त तगणजमानत पर आजाद हैं, परिवर्तित सजा का वारण्टबनाए जाने व अग्रिम कार्यवाही हेतु रेकर्ड अधीनस्थ न यायालयको शीघ्र प्रेषित किया जावे।

(न यायाधिपति कृष्णकुमार) (न यायाधिपति सुनिल कुमार गर्ग)

जी.एन.शर्मा